प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बागपत।

विज्ञप्ति

न्यायिक अधिष्ठान, बागपत में कर्मचारीगण की कमी और न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/प्रशासन डी सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में निम्न शर्तों के अधीन **जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण** के आवेदन आमंत्रित किये गये थे, परन्तु आज दिनांक 17.12.2024 तक कोई भी आवेदन प्राप्त न होने के कारण पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
2. यह नियुक्ति 01 वर्ष हेतु (यदि पदोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से न भरी जाये या 65 वर्ष की आयु पूर्ण न हो जाये या पूर्व में नोटिस द्वारा नियुक्ति समाप्त न कर दी जाए या इनमें से जो पहले हो तक) की जायेगी।
3. भर्ती साक्षात्कार एवं सम्बन्धित कर्मचारी के पूर्व सेवा अभिलेख व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जायेगी।
4. पूर्व में अयोग्य घोषित किये गये कर्मचारीगण के आवेदन पत्र पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

क्रम संख्या	**पद का नाम**	**सम्बन्धित रिक्त पदों की संख्या**
1.	तृतीय श्रेणी (ऑफिस कैडर)	32
2.	चतुर्थ श्रेणी	13

उक्त पदों का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा।

आवेदक अपना आवेदन दिनांक 04.01.2025 को सायं 05:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बागपत में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो तथा कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा जनपद न्यायालय, बागपत एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करायी जाये।

विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, बागपत को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिष्ठित स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

17/12/2024

जनपद न्यायाधीश,

बागपत

District Judge
Bagnpat